निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1933 (श0)
(सं0 पटना 512) पटना, शुक्रवार 16 सितम्बर 2011

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचनाएं
14 सितम्बर 2011
बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) नियमावली, 2011

सं० 8/नियम संशोधन–08–01/2010–810 (8)रा0—बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम, 4, 2010) की धारा–17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु बिहार के राज्यपाल, बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली, 2010 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।– (1) यह नियमावली बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली, 2010 के नियम–2 में संशोधन ।– नियम–2 के उप–नियम (xiii) के बाद तथा उप–नियम (xiv) के पहले निम्नलिखित तीन उप–नियम क्रमशः अंतःस्थापित किये जायेंगे :–

(xiii)(क) ''प्रधान लिपिक'' से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार के कार्यालय का प्रधान लिपिक।

(xiii)(ख) ''लिपिक'' से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार के कार्यालय का लिपिक।

(xiii)(ग) ''अनुमंडल पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है संबंधित अनुमंडल का अनुमंडल पदाधिकारी।

3. नियम– 3 के उप–नियम–(i) ''प्रशाखा पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य सहायक'' शब्द ''प्रधान लिपिक या सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य लिपिक'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

4. नियम–6 के उप–नियम(iv) का अंतिम वाक्य ''ऐसा आवेदन, यथासंभव, विहित प्रपत्र में रहेगा। '' एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।

5. नियम–7 के उप–नियम (i) में शब्द ''प्रशाखा पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक'' शब्द '' प्रधान लिपिक या प्रधान लिपिक की अनुपस्थिति में, सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य लिपिक'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

6. नियम–7 के उप–नियम (iii) में ''प्रशाखा पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत सहायक'' शब्द ''प्रधान लिपिक अथवा प्राधिकृत लिपिक'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

7. नियम–7 के उप–नियम (iv) में शब्द ''उप–धारा'' तथा शब्द ''प्रशाखा पदाधिकारी'' क्रमशः ''उप–नियम'' तथा शब्द ''प्रधान लिपिक'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

8. नियम–7 के उप–नियम (v) में प्रयुक्त शब्द ''उप–धारा'' तथा ''सदस्य'' क्रमशः शब्द ''उप–नियम'' तथा ''पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

9. नियम–17 के प्रावधान की तीसरी लाईन में शब्द ''लिए'' के बाद एवं शब्द ''उत्तरदायी'' से पहले शब्द ''आवेदक'' अंतःस्थापित किया जायेगा और

नियम–17 का प्रावधान (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा, उसके बाद निम्नलिखित नया उप–नियम (2) जोड़ा जाएगा :–

''(2) अधिनियम की धारा–10 के प्रयोजनार्थ यदि सक्षम प्राधिकार को सूचना प्राप्त होती है कि सक्षम प्राधिकार के समक्ष लम्बित किसी मामले में प्रतिवादी द्वारा अथवा उसकी ओर से सिविल प्रकृति का मामला दायर किया गया है, तथा जिसमें न्याय निर्णय के मुद्दे वही हैं जो व्यवहार न्यायालय के समक्ष लम्बित मामले में हैं तो सक्षम प्राधिकार को अपने न्यायालय में मामला संस्थित होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यवहार न्यायालय को जानकारी देना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् सम्बन्धित व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही उपशमित हो जायेगी।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सी0 अशोकवर्धन,
प्रधान सचिव।

The 14th September 2011

The Bihar Land Disputes Resolution (Amendment) Rules, 2011

No. 8/Rule Amend.-08-01/2010-810(8)Rev.— In exercise of powers conferred by section 17 of The Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009 (Bihar Act 4, 2010), the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar Land Disputes Resolution Rules, 2010 :-

1. *Short Title, Extent and Commencement* .— (1) these rules may be called The Bihar Land Disputes Resolution (Amendment) Rules, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. *Amendment in Rule-2 of the Bihar Land Disputes Resolution Rules, 2010.*— In Rule-2 after the Sub-Rule (xiii) and before the Sub-Rule (xiv) the following three new Sub- Rules shall be inserted-

(*xiii*) (*a*) "Head Clerk" means the Head Clerk of the Office of the Competent Authority.

(*xiii*) (*b*) "Clerk" means Clerk of the Office of the Competent Authority.

(*xiii*) (*c*) "Sub-Divisional Officer" means Sub-Divisional Officer of the concerning Sub-Division.

3. In Sub-Rule (*i*) of Rule-3, The words "The Section Officer or any other Assistant authorized by the competent authority" shall be substituted by the words "Head Clerk or any other Clerk authorized by the competent authority."

4.The Last sentence of Sub-Rule (iv) of Rule-6 "Such application shall, as far as possible, be in the prescribed form" is hereby deleted.

5. In Sub-Rule (i) of Rule-7, the words "Section Officer or the Assistant authorised by him" shall be substituted by the words "Head Clerk or in the absence of the Head Clerk, any other Clerk authorised by the Competent Authority".

6. In of Sub- Rule (iii) of Rule-7, the words "the" and before the "Section Officer or authorised Assistant" used twice shall be substituted by the words "Head Clerk or the authorised Clerk".

7. In Sub- Rule (iv) of Rule- 7, the words "Section Officer" shall be substituted by the words "Head Clerk ".

8.The words "Sub-Section" and "the Section Officer" used in Sub-rule (iv) of Rule 7, shall be substituted by the words. "Sub-rule" and "the officer" respectively.

9.(1) In third line of the provision of Rule 17 after the word "for" and before the word "responsible" the word "applicant" shall be inserted and the provision of Rule- 17 shall be numbered as (1) thereafter the following new sub-rule (2) shall be added :-

" (2) For the purpose of section-10 of the Act, if it comes to the notice of the competent authority that a case of civil nature has been filed by or on behalf of the respondent in a case pending before the competent authority and in which issues for adjudication are the same as in the case pending before the Civil Court, it will be incumbent on the competent authority to intimate the concerned Civil Court regarding the institution of the case in his court whereupon proceeding in the concerning Civil Court shall abate."

By Order of the Governor of Bihar,
C. ASHOKVARDHAN
Principal Secrertary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 512-571+500-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in